IN THE COURT OF PRINCIPAL JUDGE, FAMILY COURT, SIWAN

Maintenance Case No.-187/2019

पीठासीन पदाधिकारी– **मनोज कुमार (द्वितीय)**,
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सिवान।

सोनी देवी ––––––––आवेदिका
बनाम
रमेश शर्मा––––––विपक्षी

Sr. No.	Date	Order with signature of the Court	Office Action/s taken with Date
	20-04-2026	उभयपक्ष अनुपस्थित हैं और उनकी ओर से कोई पैरवी भी नहीं है। बारम्बार पुकार पर भी उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि, प्रस्तुत वाद आवेदिका के द्वारा दिनांक 24.09.2019 को दाखिल किया गया था तथा आवेदिका को आदेशित किया गया है कि वह सदेह उपस्थित रहे एवं वाद में अग्रिम कार्यवाही करे करे परन्तु न्यायालय द्वारा बार–बार यह निर्देश दिये जाने के बावजूद भी आवेदिका न तो सदेह उपस्थित होती है और न ही उसकी ओर से कोई कार्यवाही किया जा रहा है। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि, आवेदिका को बार–बार निर्देशित किया जा रहा है परन्तु उसके बाद भी आवेदिका न तो उपस्थित होती है और न ही उनकी ओर से कोई भी उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाती हैं और न ही न्यायालय के आदेश का पालन करती है। उभयपक्ष द्वारा इस वाद में संधि आवेदन भी दाखिल किया गया। आवेदिका दिनांक 22.12.2025 से लगातार अनुपस्थित रह रही है और आवेदिका आज भी अनुपस्थित हैं। उपरोक्त विवेचन एवं आवेदिका के निरंतर अनुपस्थिति से यह स्पष्ट है कि, उसे वाद में रूचि नहीं रह गई है। अतैव प्रस्तुत वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। लेखापित प्रधान न्यायाधीश, सिवान।	